क्रम-संख्या—197

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 18 अप्रैल, 1979
चैत्र 28, 1901 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग–1

संख्या 958/सत्रह-वि0—1-132-78
लखनऊ, 18 अप्रैल, 1979

अधिसूचना
विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 18 अप्रैल, 1979 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1979

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1979]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा ।

(2) धारा 3 और 5 दिनांक 16 अगस्त, 1972 को प्रवृत्त समझी जायगी, धारा 2, 4, 6, 9 और 10, दिनांक 30 नवम्बर, 1978 को प्रवृत्त समझी जायगी और शेष धारायें तुरन्त प्रवृत्त होंगी ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, सन् 1910 की धारा 28 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 28 में, उपधारा (3) में, खण्ड (ए) में सारणी में, मद 2 (ए) के सामने आये हुए अंक और शब्द "2 रुपये प्रति लीटर" के स्थान पर अंक और शब्द "4 रुपये प्रति लीटर" रख दिये जायेंगे ।

धारा 30 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(2) उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि या तो नीलाम द्वारा या टेंडर आमन्त्रित करके या अन्य प्रकार से निश्चित की जा सकती है या लाइसेन्स के अधीन किये गये विक्रय या उठाये गये कोटा के आधार पर निर्धारित की जा सकती है या उपर्युक्त रीतियों से अंशत: निश्चित और अंशत: निर्धारित की जा सकती है ।"

धारा 40 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(ड) अधिनियम के अधीन वसूल की गयी शमन फीस में से उसके पचास प्रतिशत तक कलेक्टर द्वारा, और वसूल किये गये अर्थदण्ड में से उसके पचास प्रतिशत तक मामले पर विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा, अधिकारिकों, अधिकारियों या इत्तिला देने वालों को इनाम देने के लिये ।"

धारा 41 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 41 में, खण्ड (ग) में,—

(एक) स्पष्टीकरण (1) के पूर्व निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह राज्य सरकार को, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा कोई ऐसा विशेषाधिकार स्वीकृत किये जाने के प्रतिफल के भाग के रूप में कोई फीस, जिसके अन्तर्गत विक्रय (वेण्ड) फीस भी है, लगाने से रोकती है ।";

(दो) स्पष्टीकरण (2) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(2) ऐसी फीस या प्रतिफल निश्चित करने की रीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक रीति भी है, अर्थात्—

(1) नीलाम,
(2) टेण्डर आमन्त्रित करना,
(3) लाइसेंस, परमिट या पास क अधीन किये गये विक्रय या उठाये गये कोटा के आधार पर निर्धारण ।"

धारा 60 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 60 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

"(3) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का उपभोग करता है, उसे अर्थ-दण्ड दिया जायगा जो पांच सौ रुपये से कम नहीं होगा और जो एक हजार रुपये तक हो सकता है ।"

धारा 72 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 72 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"(2) जहां इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी वस्तु या पशु का अभिग्रहण किया जाय और कलेक्टर का ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह समाधान हो जाय कि कोई अपराध किया गया है जिसके कारण ऐसी वस्तु या पशु उपधारा (1) के अधीन जब्त किये जाने योग्य हो गया है, वहां वह ऐसी वस्तु या पशु को जब्त करने का आदेश दे सकता है चाहे ऐसे अपराध के लिये अभियोजन संस्थित किया गया हो या नहीं:

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वस्तु (मादक वस्तु को छोड़कर) या पशु की स्थिति में उसके स्वामी को विकल्प दिया जायगा कि वह वस्तु या पशु की जब्ती के बदले में उसके अभिग्रहण के दिनांक को उसका जो बाजारी मूल्य रहा हो उससे अनधिक ऐसा अर्थ-दण्ड दे, जिसे कलेक्टर पर्याप्त समझे ।

(3) जहां अभिग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अभिग्रहीत वस्तु का जिसके अन्तर्गत कोई पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन भी है, निरीक्षण करने पर कलेक्टर की यह राय हो कि कोई ऐसी वस्तु या पशु शीघ्रता से क्षीण और दुर्बल या प्राकृतिक रूप से क्षय होने वाला है या अन्यथा लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, वहां वह ऐसी वस्तु (मादक वस्तु को छोड़कर) या पशु को नीलाम द्वारा या अन्य प्रकार से बाजार मूल्य पर बेचने का आदेश दे सकता है ।

(4) जहां कोई ऐसी वस्तु या पशु को उपर्युक्त प्रकार से बेचा जाय, और—

(क) उपधारा (2) के अधीन या उपधारा (6) के अधीन पुनर्विलोकन पर कलेक्टर द्वारा अन्ततोगत्वा जब्ती का आदेश न दिया जाय या न बना रहने दिया जाय, या

(ख) उपधारा (7) के अधीन अपील पर दिये गये आदेश में ऐसा अपेक्षित हो, या

(ग) उस अपराध के लिये जिसके सम्बन्ध में वस्तु या पशु का अभिग्रहण किया जाय, अभियोजन संस्थित किये जाने की दशा में न्यायालय के आदेश से ऐसा करना अपेक्षित हो,

वहां विक्रय-व्यय की कटौती करने के पश्चात् विक्रय-आगम का भुगतान उसके हकदार व्यक्ति को किया जायगा ।

(5) (क) इस धारा के अधीन जब्ती का आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे उसे अभिगृहीत किया जाय,—

(1) ऐसे आधार सूचित करते हुए जिन पर इस प्रकार जब्ती प्रस्तावित है, कोई लिखित नोटिस;

(2) ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, लिखित अभ्यावेदन देने का अवसर, और

(3) उस विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर;

न दे दिया जाय ।

(ख) किसी पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन को जब्त करने का कोई आदेश नहीं दिया जायगा यदि उसका स्वामी कलेक्टर के संतोषानुसार यह साबित कर दे कि पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन का प्रयोग उसके स्वामी, अभिकर्ता, यदि कोई हो, और प्रभारी व्यक्ति की जानकारी या मौनानुमति के बिना, विनिषिद्ध माल को ले जाने के लिये किया गया था और इनमें से प्रत्येक ने इस प्रकार प्रयोग किये जाने के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वोपाय किये थे और इस उपबन्ध का कोई प्रतिकूल प्रभाव खण्ड (क) के उपबन्धों पर नहीं पड़ेगा ।

(6) जहां उपधारा (2) के अधीन दिये गये जब्ती के किसी आदेश से एक मास के भीतर कलेक्टर को, इस निमित्त आवेदन-पत्र दिये जाने पर या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के अधीन जब्ती से इन्कार करने के आदेश से एक मास के भीतर अभिगृहीत वस्तु या पशु के स्वामी को या उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से उसे अभिगृहीत किया गया हो, कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से यह कारण बताने का नोटिस जारी करने के पश्चात् कि क्यों न आदेश का पुनर्विलोकन किया जाय और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि अभिलेख को देखने से ही यह प्रकट होता है कि आदेश में कोई भूल है जिसके अन्तर्गत विधि सम्बन्धी भूल भी है, वहां वह पुनर्विलोकन करके ऐसा आदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे ।

(7) उपधारा (2) या उपधारा (6) के अधीन जब्ती के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर, ऐसे न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकता है जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे और न्यायिक प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की जाय, पुष्टि, परिष्कार या विखंडन करने का ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे ।

(8) जहां ऐसे अपराध के लिये जिसके संबंध में ऐसी जब्ती का आदेश दिया गया हो, अभियोजन संस्थित किया जाय, वहां उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस वस्तु या पशु का निस्तारण न्यायालय के आदेश के अनुसार किया जायगा ।

(9) इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया जब्ती का कोई आदेश ऐसे किसी दण्ड के आरोपण से निवारित नहीं करेगा जिसके लिये उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन भागी हो ।"

नई धारा 73-क का बढ़ाया जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 73 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"73-क—जहां धारा 72 या धारा 73 के अधीन कोई मादक वस्तु जब्त की जाय, वहां

जब्त की गयी मादक वस्तु को नष्ट करने का आदेश

कलेक्टर, किसी न्यायालय द्वारा इस निमित्त दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए, यदि उसकी राय में ऐसा करना समीचीन हो, मादक वस्तु को नष्ट करने का आदेश दे सकता है, भले ही इस अधिनियम में कोई प्रतिकूल बात दी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि मादक वस्तु को जब्ती के दिनांक से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् ही, और जहां पुनर्विलोकन के लिये आवेदन-पत्र या जब्ती के आदेश के विरुद्ध अपील विचाराधीन हो, वहां इस सम्बन्ध में ऐसे पुनर्विलोकन या अपील पर दिये गये आदेश के अनुसार ही, नष्ट किया जायगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि मादक वस्तु का पर्याप्त नमूना साक्ष्यिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये परिरक्षित किया जायगा।"

धारा 74 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 74 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(1-क) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी, राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, जहां अन्तर्ग्रस्त मादक वस्तु का परिमाण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित परिमाण से अधिक न हो, वहां धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या धारा 63 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, या धारा 60 की उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का, शमन फीस के रूप में ऐसी धनराशि का, जिसे वह उचित समझे और जो पचास रुपये से कम नहीं होगी और जो तीन सौ रुपये तक हो सकती है, भुगतान करने पर, शमन कर सकता है, यदि ऐसा कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा पहली बार किया गया हो।"

धारा 77 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 77 में, अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा या किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा धारा 28 और 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी की गयी अधिसूचना संख्या 3514-ई/तेरह-331-78, दिनांक 17 अप्रैल, 1978 और 1227-ई/तेरह-332-78, दिनांक 17 अप्रैल, 1978 और उपर्युक्त अधिसूचनाओं द्वारा किये गये संशोधन, 1 अप्रैल, 1978 को और से प्रवृत्त होंगे और सदैव 1 अप्रैल, 1978 को और से प्रवृत्त समझे जायेंगे।"

निरसन और अपवाद

11—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश आबकारी (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश 1978 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 958/XVII-V-1—132-78

Dated Lucknow, April 18, 1979

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Abakari (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 1979) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 18, 1979:

THE UTTAR PRADESH EXCISE AMENDMENT) ACT, 1979

(U. P. Act No. 13 of 1979)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910

It is hereby enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1979. Short title and commencement.

(2) Sections 3 and 5 shall be deemed to have come into force on August 16, 1972, sections 2, 4, 6, 9 and 10 shall be deemed to have come into force on November 30, 1978 and the remaining sections shall come into force at once.

2. In section 28 of the U. P. Excise Act, 1910 (hereinafter referred to as the principal Act) in sub-section (3), in clause (*a*), *for* the figure and words "2 per litre" occurring against item 2(*a*) in the table, the figure and words "4 per litre" shall be *substituted*. Amendment of section 28 of U.P. Act no. 4 of 1910.

3. In section 30 of the principal Act, *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :— Amendment of section 30.

"(2) The sum payable under sub-section (1) may either be fixed by auction or inviting tenders or otherwise or be assessed on the basis of the sales made or quota lifted under the licence or partly fixed and partly assessed in the aforesaid manner."

4. In section 40 of the principal Act, in sub-section (2), *after* clause (1) the following clause shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 40.

"(*m*) *for* the grant of rewards to officials, officers or informers by the Collector out of and up to fifty per cent of composition fee and by the Magistrate trying the case, out of and up to fifty per cent of fine recovered under the Act."

5. In section 41 of the principal Act, in clause (*c*)— Amendment of section 41.

(i) *before* Explanation (1), the following proviso shall be *inserted* namely :—

"Provided that nothing contained in this clause shall be construed to prevent the State Government from levying by notification made from time to time, any fee, including vend fee, as part of consideration for the granting of any such privilege."

(ii) *for* Explanation (2), the following Explanation shall be *substituted*, namely :—

"(2) The manner of fixing such fee or consideration includes any one or more of the following manners, namely—

(i) auction,

(ii) invitation of tenders,

(iii) assessment on the basis of sales made or quota lifted under the licence, permit or pass"

Amendment of section 60.

6. In section 60 of the principal Act, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) Whoever, in contravention of this Act or any rule or order made thereunder, consumes any intoxicant, shall be punished with fine which shall not be less than five hundred rupees and which may extend to one thousand rupees."

Amendment of section 72.

7. In section 72 of the principal Act, *for* sub-section (2), the following sub-sections shall be *substituted*, namely :—

"(2) Where anything or animal is seized under any provision of this Act and the Collector is satisfied for reasons to be recorded that and offence has been committed due to which such thing or animal as become liable to confiscation under sub-section (1), he may order confiscation of such thing or animal whether or not a prosecution for such offence has been instituted :

Provided that in the case of anything (except an intoxicant) or animal referred to in sub-section (1), the owner thereof shall be given an option to pay in lieu of its confiscation such fine as the Collector thinks adequate not exceeding its market value on the date of its seizure.

(3) Where the Collector on receiving report of seizure or on inspection of the seized thing, including any animal, cart, vessel or other conveyance, is of the opinion that any such thing or animal is subject to speedy wear and tear or natural decay or it is otherwise expedient in the public interest so to do, he may order such thing (except and intoxicant) or animal to be sold at the market price by auction or otherwise.

(4) Where any such thing or animals is sold as aforesaid, and—

(*a*) no order of confiscation is ultimately passed or maintained by the Collector under sub-section (2) or on review under sub-section (6); or

(*b*) an order passed on appeal under sub-section (7) so requires; or

(*c*) in the case of a prosecution being instituted for the offence in respect of which the thing or the animal is seized, the order of the Court so requires ;

the sale proceeds after deducting the expenses of the sale shall be paid to the person found entitled thereto.

(5) (*a*) No order of confiscation under this section shall be made unless the owner thereof or the person from whom it is seized is given—

(i) a notice in writing informing him of the grounds on which such confiscation is proposed ;

(ii) an opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice; and

(iii) a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(*b*) Without prejudice to the provisions of clause (*a*), no order confiscating any animal, cart, vessel, or other conveyance shall be made if the owner thereof proves to the satisfaction of the Collector that it was used in carrying the contraband goods without the knowledge or connivance of the owner, his agent, if any, and the person incharge of the animal, cart, vessel or other conveyance and that each of them had taken all reasonable and necessary precautions against such use.

(6) Where on an application in that behalf being made to the Collector within one month from any order of confiscation made under sub-section (2), or as the case may be, after issuing notice on his own motion within one month from the order under the sub-section refusing confiscation to the owner of the thing or animal seized or to the person from whose possession it was seized, to show cause why the order should not be reviewed, and after giving him a reasonable opportunity of being heard, the Collector is satisfied that the order suffe s from a mistake apparent on the face of the record including any mistake of law, he may pass such order on review as he thinks fit.

(7) Any person aggrieved by an order of the confiscation under sub-section (2) or sub-section (6) may, within one month from the date of the communication to him of such order, appeal to such judicial authority as the State Government may appoint in this behalf and the

judicial authority shall, after giving an opportunity to the appellant to be heard, pass such order as it may think fit, confirming, modifying or annulling the order appealed against.

(8) Where a prosecution is instituted for the offence in relation to which such confiscation was ordered the thing or animal shall subject to the provisions of sub-section (4) be disposed of in accordance the order of the Court.

(9) No order of confiscation made by the Collector under this section shall prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby may be liable under this Act."

Insertion of new section 73-A.

8. *After* section 73 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Order for destroying confiscated intoxicant.

"73-A. Where any intoxicant is confiscated under secion 72 or section 73 the Collector may subject to any order passed in that behalf by any court if in his opinion it is expedient to do so, order the intoxicant to be destroyed anything to the contrary in this Act, notwithstanding:

Provided that the intoxicant shall not be destroyed except after expiration of three months from the date of confiscation or where an application for review or an appeal against the order of confiscation is pending except in accordance with the order passed in such review or appeal in this regard :

Provided further that adequate sample of the intoxicant shall be preserved to meet the evidentiary requirements."

Amendment of section 74.

9. In section 74 of the principal Act *after* sub-section (1) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(1-A) Any officer specially empowered by the State Government in that behalf may subject to any general or special order of the State Government compound, whether before or after the institution of the prosecution, any offence punishable under clause (*a*) of sub-section (1) of section 60 or section 63, where the quantity of the intoxicant involved does not exceed the quantity notified by the State Government in that behalf, or any offence punishable under sub-section (3) of section 60, on payment of such sum of money as composition fee as he thinks fit, which shall not be less than fifty rupees and which may extend to three hundred rupees, where any such offence is committed by a person for the first time."

Amendment of section 77.

10. In section 77 of the principal Act, the following proviso shall be *inserted* at the end, namely:—

"Provided that notwithstanding anything to the contrary contained in this section or in any judgment, decree or order, the notification nos. 3514-E/XIII—331-78 and 1227-E/XIII—332-78, both dated April 17, 1978, made by the State Government in execise of the powers under sections 28 and 29 and the amendments made by the aforesaid notifications shall have effect and be deemed always to have effect on and from April 1, 1978."

Repeal and savings.

11. (1) The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 1979 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance specified in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Excise (Fourth Amendment) Ordinance, 1978 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By order,

R. C. DEO SHARMA,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 24 सा० (विधा०)--18-4-79--(143)--1979--750 (मे० हे०)।

judicial authority shall, after giving an opportunity to the appellant to be heard, pass such order as it may think fit, confirming, modifying or annulling the order appealed against.

(8) Where a prosecution is instituted for the offence in relation to which such confiscation was ordered the thing or animal shall subject to the provisions of sub-section (4) be disposed of in accordance the order of the Court.

(9) No order of confiscation made by the Collector under this section shall prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby may be liable under this Act."

Insertion of new section 73-A.

8. *After* section 73 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Order for destroying confiscated intoxicant.

"73-A. Where any intoxicant is confiscated under secion 72 or section 73 the Collector may subject to any order passed in that behalf by any court if in his opinion it is expedient to do so, order the intoxicant to be destroyed anything to the contrary in this Act, notwithstanding:

Provided that the intoxicant shall not be destroyed except after expiration of three months from the date of confiscation or where an application for review or an appeal against the order of confiscation is pending except in accordance with the order passed in such review or appeal in this regard :

Provided further that adequate sample of the intoxicant shall be preserved to meet the evidentiary requirements."

Amendment of section 74.

9. In section 74 of the principal Act *after* sub-section (1) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(1-A) Any officer specially empowered by the State Government in that behalf may subject to any general or special order of the State Government compound, whether before or after the institution of the prosecution, any offence punishable under clause (*a*) of sub-section (1) of section 60 or section 63, where the quantity of the intoxicant involved does not exceed the quantity notified by the State Government in that behalf, or any offence punishable under sub-section (3) of section 60, on payment of such sum of money as composition fee as he thinks fit, which shall not be less than fifty rupees and which may extend to three hundred rupees, where any such offence is committed by a person for the first time."

Amendment of section 77.

10. In section 77 of the principal Act, the following proviso shall be *inserted* at the end, namely:—

"Provided that notwithstanding anything to the contrary contained in this section or in any judgment, decree or order, the notification nos. 3514-E/XIII—331-78 and 1227-E/XIII—332-78, both dated April 17, 1978, made by the State Government in execise of the powers under sections 28 and 29 and the amendments made by the aforesaid notifications shall have effect and be deemed always to have effect on and from April 1, 1978."

Repeal and savings.

11. (1) The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 1979 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance specified in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Excise (Fourth Amendment) Ordinance, 1978 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By order,

R. C. DEO SHARMA,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 24 सा० (विधा०)--18-4-79--(143)--1979--750 (मेके०)।